



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3697]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4861(अ)— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कच्छ जो केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(क) ब्याज और शास्ति सहित लीज रेंट (सरकारी निर्धारित दर के अनुसार प्रभार्य);

(ख) पहचान पत्र और परमिट शुल्क/गेट पास से होने वाली प्राप्ति;

(ग) खाली प्लॉट/विल्डिंग के संबंध में बोली/बोली धनराशि,

(घ) प्लॉट/विल्डिंग के संबंध में अंतरण प्रभार्य;

(ङ) विल्डिंग प्लान के अनुमोदन के संबंध में प्रोसेसिंग शुल्क;

(च) प्रयोक्ता प्रभार और जल प्रभार सहित सेवा प्रदाताओं से साइट उपयोगिता प्रभार (इस पर लगने वाले ब्याज और शास्ति सहित)

(छ) स्टॉफ क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क; और

(ज) उपर्युक्त (क) से (छ) पर उद्भूत ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कच्छ'-
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 47 /2018/फा. सं. 300196/35/2017-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव